

02 अदद नाजायज तमंचा मय जिंदा कारतूस के साथ 02 शातिर गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर मिर्जापुर के पास से सूरज कुमार पुत्र बट्टी प्रसाद निवासी खोजापुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 253/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर चादमारी इमिलिया के पास से भरत साही पुत्र संजय साही निवासी बरपुर थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा मय जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 782/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 27.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 255/20 धारा 323,504,506,308 भादवि0 में वांछित अभियुक्त फारूख पुत्र नसीमुल्लाह निवासी अस्तोपुरा थाना दक्षिणटोला, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 854/20 धारा 363,366 भादवि0 3(1)द एससी/एसटी एक्ट व 3/4 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त लक्ष्मण पाण्डेय पुत्र भागवत पाण्डेय निवासी मनियरा थाना नेमचक जनपद गया बिहार, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 559/20 धारा 354क,323,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त ओसामा पुत्र मो0 हसन उर्फ गामा निवासी पठानटोला थाना कोतवाली, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 374/20 धारा 363,366,376 भादवि0 में वांछित अभियुक्त बाबुलाल पुत्र श्रवण कुमार निवासी परदहा थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार—

दिनांक 26.10.2020 को थाना **घोसी** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान भैरोपुर के पास से राजू यादव पुत्र झिरका यादव निवासी भैरोपुर थाना घोसी मऊ के कब्जे से 20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 871/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 30 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 27.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **चिरैयाकोट** पुलिस द्वारा अकिंत, सुनील, रमेश, धनन्यज, श्यामलाल निवासीगण अलीनगर थाना चिरैयाकोट, थाना **दोहरीघाट** पुलिस द्वारा किसन निवास नई बाजार, जयहिन्द निवासी हरदौली थाना दोहरीघाट, थाना **घोसी** पुलिस द्वारा सनोज, रामबली, मून्नी देवी, अनिता, सोभनाथ, इशमाती निवासीगण भीखमपुर, रामप्रवेश, एकराम निवासीगण जामडीह थाना घोसी, थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा राजाप्रताप, मुरली, उपेन्द्र निवासीगण मऊकुबेर, किसोर, वीरेन्द्र निवासीगण जगरनाथपुर, लखन्दर निवासी हलधरपुर थाना हलधरपुर, थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा राजकुमार निवासी लाडनपुर, संजय निवासी बाजिदपुर, अर्जुन, प्रदीप, रामदयाल निवासीगण पिपरौता थाना कोपागंज, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा शिवमोहन निवासी धर्मपुर थाना मधुबन, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा लालु यादव निवासी गाजीपुर तिराह थाना सरायलखंसी मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।